भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2137** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग

†2137. श्री कोडिकुननील सुरेश:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में अधिसूचित राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) की कुल लंबाई और संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान संभाले जा रहे यात्री और माल यातायात सहित उक्त जलमार्गों में प्रत्येक जलमार्ग की वर्तमान प्रचालन स्थिति क्या है;

(ग) राज्य में उक्त जलमार्गों पर किए गए विकास कार्यों जैसे गाद निकालने, टर्मिनल विकास, रात्रि नौवहन सुविधाएँ और आधुनिकीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) संसद सदस्यों और राज्य सरकार के अनुरोधों के आधार पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या पर्यावरणीय मंज़ूरी, भूमि अधिग्रहण या राज्य सरकार के साथ समन्वय के कारण उक्त कार्यों के कार्यान्वयन में कोई विलंब या बाधाएँ हैं और यदि हाँ, तो उनका समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) केरल में सागरमाला या जल मार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार और पर्यावरण- अनुकूल एवं लागत प्रभावी जल परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): केरल राज्य में 5 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और इन 5 राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 465.89 किमी है:-

i. रा.ज.-3 (चंपाकरा और उद्योगमंडल नहर सहित पश्चिमी तट नहर)।

ii. रा.ज.-8 (अलपुझा-चंगनास्सेरी नहर)।

iii. रा.ज.-9 (अलपुझा-कोट्टायम नहर)।

iv. रा.ज.-13 (ए.वी.एम. नहर)।

v. रा.ज.-59 (वेचूर-अथिरमपुझा नहर)।

(ख) और (ग): तीन राष्ट्रीय जलमार्ग/नामत: रा.ज.-3, रा.ज.-8 और रा.ज.-9 चालू हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री/कार्गो आवागमन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	यात्री	कार्गो (लाख टन)
2022-23	95,79,806	32.07
2023-24	1,10,78,569	33.25
2024-25	1,12,76,234	35.59

इन जलमार्गों पर किए गए विकास कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ): केरल सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया है कि उपलब्ध मानकों के अनुसार पश्चिमी तट नहर के कोवलम से कोल्लम और कोझिकोड से बेकल जलखंडों को राष्ट्रीय जलमार्ग की उपयुक्त श्रेणी (श्रेणी-I/श्रेणी-III) घोषित करने के लिए कदम उठाए जाएँ। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत केरल में कोट्टापुरम से कोझिकोड तक राष्ट्रीय जलमार्ग-3 खंड का पहले ही विस्तार किया जा चुका है। इस प्रकार, राष्ट्रीय जलमार्ग-3, बेकल से कोवलम तक के संपूर्ण जलमार्ग खंड में से, उत्तर में कोझिकोड से दक्षिण में कोल्लम तक संपूर्ण व्यवहार्य खंड को कवर करता है। राष्ट्रीय परिवहन योजना एवं अनुसंधान केंद्र, तिरुवनंतपुरम द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार, उत्तर में बेकल से कोझिकोड और दक्षिण में कोल्लम से कोवलम तक के शेष जलखंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने पर विचार नहीं किया जा सका।

(ङ): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा निर्धारित नौवहन चैनल से मछली पकड़ने के जाल हटाने और फेयरवे विकास हेतु आवश्यक ड्रेज्ड सामग्री के लिए डंपिंग ग्राउंड उपलब्ध न होने से संबंधित मुद्दे हैं, जिन्हें समाधान के लिए केरल सरकार के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है।

(च): केरल सहित देश में मल्टीमॉडल संपर्कता बढ़ाने और पर्यावरण-अनुकूल एवं लागत प्रभावी जल परिवहन प्रणाली का संवर्धन करने के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। जल मार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) की वाराणसी से हल्दिया तक नौवहन क्षमता में वृद्धि के लिए है।

अनुबंध-I

इन जलमार्गों पर किए गए विकास कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित विवरण

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में नौ (9) टर्मिनलों का निर्माण किया है और विलिंगडन द्वीप तथा बोलघाटी द्वीप के बीच रो-रो सेवा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, आईडब्ल्यूएआई ने केरल सरकार के माध्यम से त्रिकुन्नापुझा में नौचालन लॉक के आधुनिकीकरण और कोविलथोट्टम फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए जमा राशि के आधार पर वित्तपोषण किया है। आईडब्ल्यूएआई, केरल में राष्ट्रीय जलमार्गों के संवेदनशील स्थानों पर बैंक संरक्षण कार्य भी करता है। चालू विभिन्न गतिविधियों की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	विकास कार्य का नाम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1.	फेयरवे विकास कार्य (वार्षिक रूप से किया जाता है)	15 %	11.78%
2.	टर्मिनलों का संचालन एवं रखरखाव (वार्षिक रूप से किया जाता है)	25%	17.50%
3.	त्रिकुन्नापुझा लॉक गेट का आधुनिकीकरण	41%	100%
4.	कोविलथोट्टम फुट ओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण (आईडब्ल्यूएआई और केरल सरकार की 50:50 के अनुपात में हिस्सेदारी)	78%	50%

अनुबंध-II

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा मल्टीमॉडल संपर्कता में सुधार लाने तथा पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी जल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण

(i) जलयानों के संचालन के लिए 35/45 मीटर चौड़ाई और न्यूनतम 2.0 / 2.2 / 2.5 / 3.0 मीटर उपलब्ध गहराई (एलएडी) का नौवहन चैनल प्रदान करने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) में फेयरवे रखरखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रखरखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण) शुरू किए गए हैं।

(ii) रा.ज.-1 (गंगा नदी) पर 5 पूर्व-विद्यमान स्थायी टर्मिनलों के अतिरिक्त 53 सामुदायिक जेट्टी, 20 फ्लोटिंग टर्मिनल, 3 मल्टी-मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) और 1 इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी) का निर्माण किया गया है।

(iii) रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) पर पांडु, जोगीघोपा में एमएमटी और बोगीबील एवं धुबरी में टर्मिनलों के साथ-साथ 13 फ्लोटिंग टर्मिनल प्रदान किए गए हैं। क्रूज जलयानों के लिए जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथ घाट और नेमाटी में चार समर्पित जेट्टी प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, असम में सदिया, लायका और ओरियम घाट पर क्रूज़ और यात्रियों के लिए जेट्टी का निर्माण किया गया है।

(iv) गोदामों सहित 9 स्थायी अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और 2 रो-रो/रो-पैक्स टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (केरल में पश्चिमी तट नहर) पर निर्मित किए गए हैं।

(v) गोवा सरकार को 4 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टी प्रदान की गई हैं और मंडोवी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-68) में स्थापित की गई हैं।

(vi) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (कृष्णा नदी) पर 4 पर्यटक जेट्टी चालू कर दी गई हैं और उत्तर प्रदेश में मथुरा-वृंदावन खंड में राष्ट्रीय जलमार्ग-110 (यमुना नदी) पर 12 फ्लोटिंग जेट्टी, बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग-73 (नर्मदा नदी) पर 2 जेट्टी और राष्ट्रीय जलमार्ग-37 (गंडक नदी) पर 2 जेट्टी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(vii) जलयानों की सुचारू और तीव्र गति से आवाजाही को सुगम बनाने के लिए फरक्का में एक नया नौचालन लॉक और रा.ज.-1 पर 2 क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) का निर्माण किया गया है।

*****